तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1– निगरानी / टीए / 2015 / 2467 / भरतपुर **भिक्की बनाम पूरनसिंह** **2– निगरानी / टीए / 2015 / 2473 / भरतपुर** **भिक्की बनाम पूरनसिंह**	

एकल–पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री जे. के. पारीक, अभिभाषक प्रार्थी
श्री रोहित सोनी, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 13 जून, 2022

निर्णय

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 सपठित धारा–221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 7–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– इन दोनों प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि निगरानीकार ने एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–88, 188 के अन्तर्गत गैर निगरानीकार के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपबास के समक्ष प्रस्तुत किया और दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र संख्या–109/11 प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर–175 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर–177 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर–185 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर–185/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा ग्राम जहाननगर तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण को विरासत में मिली है जो कि उनके दादा तलफी की थी। तलफी की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी उनके पिता हुकमसिंह के खाते चढ़ गयी और हुकमसिंह ने उक्त आराजी का बेचान गलत ढंग से अप्रार्थी संख्या–1 को कर दिया। अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध बेचाननामा निरस्त कराने का एक वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में प्रार्थना की कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>1– निगरानी / टीए / 2015 / 2467 / भरतपुर</u>** **भिक्की बनाम पूरनसिंह** **<u>2– निगरानी / टीए / 2015 / 2473 / भरतपुर</u>** **भिक्की बनाम पूरनसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित भूमि को वाद के निस्तारण होने तक रहन बय मुन्तकिल नहीं करने एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास जिला भरतपुर ने एक अन्य प्रकरण संख्या–67/11 जो कि अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रस्तुत किया था, के साथ क्लब करते हुये दोनों प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अपने एक ही निर्णय दिनांक 12–1–2012 द्वारा किया, जिसके अन्तर्गत प्रकरण संख्या–67/11 निरस्त कर दिया गया एवं प्रकरण संख्या–109/11 स्वीकार करते हुये अप्रार्थी को प्रकरण के निस्तारण होने तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी ने दो अपीलें क्रमशः 6/12 एवं 7/12 न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत कीं। जिसमें दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जाकर अपील संख्या–6/2012 को स्वीकार करते हुये विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश जो उन्होंने प्रार्थना पत्र संख्या–109/11 में दिया गया था, को खारिज कर दिया और निगरानीकर्ताओं को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध निगरानी संख्या 2467/2015 एवं निगरानी संख्या–2473/2015 प्रस्तुत की गयी है। 3– बहस उभय पक्ष सुनी गयी। 4– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि उनके दादा तलफी की खातेदारी की थी। तलफी की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि उनके पिता हुकमा की खातेदारी में दर्ज हो गई। हुकमा ने उक्त भूमि का दिनांक 19–6–1999 को अप्रार्थी पूरनसिंह पुत्र राधावल्लभ जाति ठाकुर को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दिया। हुकमा को उक्त भूमि को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि यह भूमि पैतृक सम्पत्ति थी। उक्त बेचान को निरस्त कराने हेतु एक वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1– निगरानी / टीए / 2015 / 2467 / भरतपुर **भिक्की बनाम पूरनसिंह** **2– निगरानी / टीए / 2015 / 2473 / भरतपुर** **भिक्की बनाम पूरनसिंह**	
	भूमि के संबंध में विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपवास ने प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी किन्तु विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने विद्वान उप खण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश को अपास्त करते हुये अप्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर दिया जो कि विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वस्तुतः विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसे बेचान करने का अधिकार हुकमा को नहीं था। इसलिये यह निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय को निरस्त किया जाये और प्रार्थीगण के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :– 1– आरबीजे–2005 पेज–89 2– आरएलडब्ल्यू.–2011(1) (राज.) पेज–105 (एचसी) 3– आआरडी–2006 पेज–414 4– आरआरटी–2008(1) पेज–245 5– आरआरटी–2016(2) पेज–1354 (एससी) 6– डीएनजे–2017(3) (राज.) पेज–1413 7– आरआरटी–2014–15(सप्ली.) पेज–683 8– आरबीजे–2011 पेज–169 9– आरबीजे–2020 पेज–82 10– आरआरडी–1993 पेज–206 11– आरआरडी–1999 पेज–466 12– आरबीजे–2009 पेज–78 13– आरबीजे–2010 पेज–178 14– आरआरडी–1999 पेज–206 15– आरआरडी–2006 पेज–414 16– आरआरटी–2010(1) पेज–115 17– आरआरडी–1995 पेज–532 18– डीएनजे–2018 (राजस्व) पेज–180 5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण नितान्त असत्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1– निगरानी / टीए / 2015 / 2467 / भरतपुर** **भिक्की बनाम पूरनसिंह** **2– निगरानी / टीए / 2015 / 2473 / भरतपुर** **भिक्की बनाम पूरनसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। विवादित भूमि तलफी की हो, इस बाबत कोई भी दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिये यह भूमि पैतृक नहीं होकर हुकमा की पैदाकर्ता भूमि थी। अप्रार्थी ने उक्त भूमि को वर्ष 1999 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रार्थीगण के पिता हुकमा से कीमतन खरीदा है और वह काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर उनके पक्ष में पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण पोषणीय है। अतः यह दोनों निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :– 1– आरबीजे–2020 पेज–62 2– आरआरटी–2010(1) पेज–67 3– आरबीजे–2008 पेज–184, 469 4– आरबीजे–2006 पेज–722 6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया। 7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित भूमि प्रार्थीगण के दादा तलफी की भूमि थी। इसलिये उक्त भूमि को पैतृक सम्पत्ति नहीं कहा जा सकता है। अप्रार्थी पूरनसिंह ने उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की है और कब्जा भी अप्रार्थी के पास है। इसलिये जब तक पंजीकृत बयनामा किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा दिया जाता है तब तक वह एक वैध दस्तावेज है और उसी के आधार पर अप्रार्थी संख्या–1 काबिज काश्त है। 8– पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से यह भली भांति	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1– निगरानी / टीए / 2015 / 2467 / भरतपुर **भिक्की बनाम पूरनसिंह** **2– निगरानी / टीए / 2015 / 2473 / भरतपुर** **भिक्की बनाम पूरनसिंह**	
	साबित है कि विवदित भूमि को हुकमा सिंह ने अप्रार्थी संख्या–1 पूरनसिंह को जरिये पंजीकृत बयनामा बेचान किया था और कब्जा भी संभलवा दिया था। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामले का सिद्धान्त, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में बखूबी साबित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये एवं विधि के प्रावधानों के अनुसार आलोच्य निर्णय पारित किया है, जो पोषणीय है। दोनों निगरानियों में कोई ठोस तथ्य नहीं होने के कारण यह दोनों निगरानियां खारिज किये जाने योग्य हैं। 9– उपर्युक्त विवेचन के अनुसार ये दोनों निगरानियां क्रम संख्या–2467/2015 व 2473/2015 खारिज की जाती है एवं विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय दिनांक 7–5–2012 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1– निगरानी / टीए / 2015 / 2467 / भरतपुर **भिक्की बनाम पूरनसिंह** **2– निगरानी / टीए / 2015 / 2473 / भरतपुर** **भिक्की बनाम पूरनसिंह**	